संख्या- 15 /2018/ 321 /चार-2018 -07(वि)/2016

प्रेषक,

लुटावन राम
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ

सस्कृति अनुभाग: लखनऊः दिनांक 01 फरवरी, 2018

विषय- वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग /पदों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर वित्त वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-109/दस-54(एम)/2008 टीसी दिनांक 27 फरवरी, 2013 के माध्यम से वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के चौदहवें प्रतिवेदन के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं की पदवार एवं सामान्य कोटि के संवर्ग /पदों के संबंध में की गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ में वाहन चालक संवर्ग में विद्यमान वाहन चालक के 02 पद (3050-4590/वेतन बैण्ड-1(रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900) का पदनाम, वेतनमान, भर्ती की विधि एवं भर्ती हेतु अर्हता निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित किये जाने की तत्काल प्रभाव से श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0स0	पदनाम	संस्तुत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदों की संख्या	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता
1	वाहन चालक ग्रेड-4	3050-4590/वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900)	01	उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2011 में निर्धारित अर्हता/भर्ती की प्रक्रिया के आधार पर (एक) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा । सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के अर्हताएं (1) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (2) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चालने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस सम्बन्धित रिक्ति के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से तीन वर्ष से अनन्यून अवधि का रखता हो । (दो) 20 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनरो और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, और यथा स्थित भारी या हल्के वाहन चलाने का तीन वर्ष से अनन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखता हो तथा किसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in/

				मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवी कक्षा की परीक्षा उत्तीण कर ली हो परन्तु यदि पदोन्नति हेतु पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता अथवा पोषक संवर्ग में पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से करा जायेगा।
2	वाहन चालक ग्रेड-3	4000-6000/वेतन बैण्ड-1 रू0 5200-20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400)	01	वाहन चालक ग्रेड-3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड-4 से की जायेगी जिन्होने 09 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।

2- भारतेन्दु नाट्य अकादमी लखनऊ में ड्राइवर संवर्ग के उपरोक्त पद विधिवत /नियमानुसार सृजित किये गये हो तथा इन पदों पर कार्यरत पदधारकों की नियमानुसार/नियमित नियुक्ति की गयी हो। पदों की संख्या के संबंध में अकादमी अपने स्तर से पुष्टि करते हुये स्वयं आश्वस्त हो लेगें और तद्नुसार उत्तरदायी भी रहेंगे।

3- उच्चीकृत /संशोधित ग्रेड वेतन में वेतन निर्धारण वेतन आयोग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- वे0आ0-2-841/दस-2009-59(एम)/2008 दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 में की गयी व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

4- संबंधित सेवानियमावली में उपर्युक्तानुसार यथा अपेक्षित संशोधन कर लिया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-ई-7-919/दस-2017 दिनांक 10 जनवरी, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

संख्या- 15 / 2018 /321 (1)/चार-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 (02प्रतियों में)
6- निदेशक अधिष्ठान पुनरीक्षित ब्यूरों , वित्त विभाग, सचिवालय।
7- निदेशक, भारतेन्दु नाट्य अकादमी, लखनऊ ।
8 -गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(लुटावन राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in